पत्रांक–04 / सड़क–01–12 / 2026 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पाटलिपुत्रा अंचल के पथों को पुनर्स्थापन / पुनर्निर्माण कार्य हेतु रू० 1331.34800 लाख (तेरह करोड़ एकतीस लाख चौतीस हजार आठ सौ रू०) मात्र की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष, 2025–26 में तत्काल कुल राशि रू० 193.00000 लाख (एक करोड़ तिरान्वे लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

महाशय,

पटना नगर निगम, पटना शहर का स्थानीय नगर निकाय है। पटना नगर निगम कुल 109.218 Km^2 क्षेत्रफल में फैला हुआ है एवं वर्तमान में इसकी आबादी लगभग 26 लाख है। साथ ही विभिन्न कारणों से प्रतिदिन 8 से 9 लाख बाहरी लोगों का आवागमन पटना नगर निगम क्षेत्र में होता है।

2. पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 75 वार्डों में नगर निगम के स्वामित्व वाली 2500 कि०मी० लम्बाई में सड़कें हैं। जिसके निर्माण एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी पटना नगर निगम की है। मुख्यतः ये सड़कें विभिन्न वार्डों में मुख्य सड़क, ब्रांच एवं आंतरिक सड़कें है। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग की सड़कें हैं। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग की सड़कें हैं, जो पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरती हैं। ये सड़कें पटना शहर की सामान्यतः मुख्य सड़क एवं विभिन्न वार्डों की चौड़ी सड़कें हैं, जिसका निर्माण एवं रख–रखाव पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

3. पटना शहरी क्षेत्र एवं इसके इर्द–गिर्द विगत वर्षों में नागरिक सुविधा के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न आधारभूत संरचना का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित हैः–

(i) पटना शहरी क्षेत्र के नागरिकों को तीव्र एवं आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए दो रूटों में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भूमिगत मेट्रो रेल का कार्य Elevated Rail कार्य कराया जा रहा है।

(ii) बुडको द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में वर्षा के जल निकासी के लिए पूरे क्षेत्र को कुल 09 (नौ) जोन में Storm Water Drainage System का भी प्रगति पर है।

(iii) NMCG परियोजना अंतर्गत सभी 75 वार्डों में सीवरेज नेटवर्क बनाने का कार्य प्रगति पर है। कार्य के उपरान्त संबंधित एजेंसी के द्वारा सड़क का पुनर्स्थापन गुणवत्तापूर्ण एवं पूर्णरूपेण नहीं करने के कारण इस अतिमहत्वपूर्ण योजना की छवि भी धूमिल हो रही है।

(iv) GAIL द्वारा विभिन्न वार्डों में Piped Cooking Gas के वितरण हेतु पथों को काटकर पाईप लाईन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है।

(v) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अनेक स्थलों पर भूमिगत बिजली केबल बिछाने का कार्य एवं विभिन्न दूरसंचार कंपनियों द्वारा भूमिगत केबल बिछाने का कार्य कराया जाता रहा है। जिसके कारण पथ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

4. उक्त सभी कार्यों के क्रियान्वयन के क्रम में बड़े स्तर पर पथों की खुदाई की गई तथा वर्तमान में भी पथों की खुदाई की जा रही है। पथों के खुदाई के बाद कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पथों के पुनर्स्थापन का दायित्व है संबंधित कार्यकारी एजेंसी का होता है।

5. ज्ञातव्य है कि पटना, राज्य की राजधानी होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण सरकारी भवन जैसे माननीय उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधान सभा, विधान परिषद एवं अन्य विभागों के मुख्यालय अवस्थित है, जिससे पथों पर वाहनो का भारी दवाब बना रहता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पथों को हमेशा परिचालन योग्य रखा जाय।

6. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना का पत्रांक–12393, दिनांक–31.07.2024 द्वारा पाटलिपुत्रा अंचल क्षेत्रान्तर्गत पथों के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु कुल राशि रू० 1403.51400 लाख (चौदह करोड़ तीन लाख एकाबन हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में कुल रू० 1331.34800 लाख (तेरह करोड़ एकतीस लाख चौतीस हजार आठ सौ रू०) मात्र प्रदान की गई है।

7. उक्त स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–6 के अनुरूप रू० 193.00000 लाख (एक करोड़ तिरान्वे लाख रू०) मात्र चालू वित्तीय वर्ष, 2025–26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	अंचल का नाम	कार्य का नाम	राज्य योजना से स्वीकृत कुल राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	पटना नगर निगम	पाटलिपुत्रा अंचल	पाटलीपुत्रा अंचल अंतर्गत विभिन्न वार्डो में क्षतिग्रस्त पथों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण का कार्य।	1331.34800	193.00000	1138.34800

8. उक्त स्वीकृत राशि रू० 193.00000 लाख (एक करोड़ तिरान्वे लाख रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–227, दिनांक–28.03.2025 एवं पत्रांक–950, दिनांक–12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के*** PL ***खाता सं०–*** PTCPLA021 ***तथा*** HOA- 00-8448-00-102-0001-00-01 ***में*** CFMS ***के माध्यम से*** Inter Departmental ***विधि से*** Online ***हस्तांतरित किया जाएगा।***

9. उक्त स्वीकृत राशि रू० 193.00000 लाख (एक करोड़ तिरान्वे लाख रू०) मात्र की निकासी माँग सं०–48 के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0115–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48-2217011910115, विषय शीर्ष– 0115.31.05 (परिसम्पत्तियों का निर्माण) सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

10. बिहार कोषागार सहित के नियम– 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

11. योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

12. **उक्त योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, पटना द्वारा कराया जायेगा।**

13. उपरोक्त योजना की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ दी जाती है :–

(i) यदि उपरोक्त पथों में से कुछ पथों के निर्माण/मरम्मति हेतु अन्य योजनाओं से भी राशि स्वीकृत हो, तो पूर्व से स्वीकृत योजना की राशि से ही ऐसे पथों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण कार्य किया जाय ताकि किसी भी योजना का दोहरीकरण (Duplication) नहीं हो सके।

(ii) जिन सड़कों की समय पर अथवा गुणवत्तापूर्ण मरम्मति नहीं की गई है, उसके लिये SBD एवं NMCG के MBD के संगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुकूल Recovery और LD काटा जायेगा। इसकी प्रति बुडको को अनुपालनार्थ भेजी जायेगी।

(iii) DLP के अंतर्गत है तो उक्त राशि की वसूली की जायेगी।

(iv) TA & TS देने वाले पदाधिकारी सुनिश्चित हो लेंगे कि BFR के Rule-206 का Violation नहीं किया गया है।

(v) अगर कोई अन्य स्कीम, प्रस्तावित सड़कों के पुनर्निर्माण अथवा मरम्मति कर लिया गया हो एवं अभी शुरू नहीं की गई हो, उसे निरस्त कर राशि वापस कर दी जायेगी।

(vi) सड़कें नगर निकाय की स्वामित्व वाली हो, यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(vii) योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(viii) जिस प्राक्कलन में Dismantling का प्रावधान किया गया है, उनमें नियमानुसार Dismantling करने के पश्चात ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

14. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

15. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355वि(2), दिनांक– 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

16. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/सड़क–01–12/2026 के पृष्ठ सं०–16/टि० पर दिनांक–09.02.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 19 /टि० पर दिनांक–23.02.2026 को प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/सड़क–01–12/2026 503 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–23/02/26

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/उप सचिव–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 06 एवं 14, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।